न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 29/2020 (75 एलआरए) अरविन्द कुमार बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00006)

1 अरविन्द कुमार आ0 दयाराम जाति मीना निवासी चौमहेला तहसील गंगधार जिला झालावाड़

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार गंगधार
दिनांक 13.11.2019 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 311/2019

उपस्थित :

1 श्री सुरेन्द्र सिंह राजावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2 श्री मुकेश जैन राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से ।

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 12.10.2020

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार गंगधार के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 311/2019 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 311/2019 पटवारी हल्का भाटखेडी की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को नोटिस जारी किया परन्तु अतिक्रमी उपस्थित नहीं

अति० कलेक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज०)

हुए तथा एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 13.11.19 को निर्णय पारित किया गया कि श्री अरविन्द कुमार आ0 दयाराम जाति मीणा निवासी चौमहेला द्वारा इस वर्ष सम्वंत 2076 में खसरा नम्बर 136,136/1 व 139/4 की 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस्म बंजड़/गै0मु0बर्डी पर कब्जा कर केशर मशीन/घास रखकर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी द्वारा गत वर्ष सम्वंत 2075 में भी अतिक्रमण किंया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर मिसल नम्बर 1732 निर्णय दिनांक 11.03.19 से बेदखल किया गया था एवं रूपये 4000/– की शास्ति कायम की गई थी अतिक्रमी के द्वारा पुनः इस वर्ष सम्वंत 2076 में भी अतिक्रमण कर कर लिया गया है। इस प्रकार का अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रैणी में आता है। पटवारी हल्का भाटखेड़ी के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पटवारी हल्का के ब्यान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। यदि इस के साथ सहृदयता का व्यवहार किया गया तो अतिचार अतिक्रमण की प्रवृत्ति के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। आराजी ख0न0 136, 136/1 व 139/4 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा किस्म बंजड/गै0मु0बर्डी पर से अप्रार्थी को बेदखल करने के आदेश एल0आर0एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दिये जाते है साथ ही लगान 8.86 का 50 गुना राशि 5000 रूपये पेनल्टी कायम किया जाता है। फसल को जप्त राज करके निलामी के आदेश दिये जाते है। राशि की आंक कायमी पटवारी व टी0आर0ए0 को करवाई जावे एवं अप्रार्थी के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अप्रार्थी को एक माह (30 दिन) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी थानाधिकारी गंगधार को भिजवाए गए। अपीलांट ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियाद कानून के अन्तर्गत प्रा0पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मियाद मानी जाकर दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को प्रथम नोटिस 21.10.19 को दिया जिसमं ख0न0 अंकित नही थे उसके पश्चात दिनांक 06.11.19 को नोटिस दिया गया उसमें भी ख0न0 139 का कोई अंकन नही था नही क्रेशर होना बताया गया था जबकि मौके पर कोई क्रेशर स्थापित नही हैं। अपीलांट को विधिवत नोटिस की तामील नही करवाई गई है, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं

मिला। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी नहीं ली और न ही कोई जांच की। केवल रिपोर्ट पटवारी की साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिया है तथा एक ही दिन में निर्णय पारित कर दिया है जो कानून के खिलाफ है। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपील अंदर मियाद मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं एकतरफा होने से अपील स्वीकार फरमा कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.11.2019 अपास्त किया जावे।

5 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा ख0न0 136,136/1 व 139/4 पर अतिक्रमण कर सोयाबीन उगा रखी रखी है तथा क्रेशर मशीन लगा रखी है जो बन्द है अपीलान्ट का सम्वंत 2061 से उक्त आराजी पर कब्जा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 1 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 विधि अनुरूप है। अतः अपील अपीलान्ट आधारहीन व सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र का कोई जवाब या खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नही करने के कारण अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अपीलांट को जो नोटिस जारी किये गये उनमें ख0न0 अंकित नही किये गये। अधीनस्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2019 को अपीलान्ट को तलब करने हेतु जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें मात्र ख0न0 136 का अंकन किया गया है जबकि पटवारी हल्का मल्हारगंज द्वारा अपनी रिपोर्ट में ख0न0 136 की 11 बिस्वा में घांस ख0न0 136/1 की 2 बीघा में घांस तथा ख0न0 139/4 में क्रेशर मशीन होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में ख0न0 136 की 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर अतिचार बताया गया है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है अधीनस्थ न्यायालय को शेष खसरा नम्बरान ओर अतिचार किस प्रकार का है, का अंकन नोटिस में किया जाना चाहिये था।

अपीलांट्स के अधिवक्ता का दूसरा तर्क है कि केवल पटवारी हल्का की साक्ष्य के आधार पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी माना गया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का

प्रति० जिला अभिलेख (राज०)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 29/2020 (75 एलआरए) अरविन्द कुमार बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00006)

1 अरविन्द कुमार आ0 दयाराम जाति मीना निवासी चौमहेला तहसील गंगधार जिला झालावाड़

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार गंगधार
दिनांक 13.11.2019 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 311/2019

उपस्थित :

1 श्री सुरेन्द्र सिंह राजावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2 श्री मुकेश जैन राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से ।

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 12.10.2020

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार गंगधार के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 311/2019 में पारित आदेश दिनांक 13.11.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। .

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 311/2019 पटवारी हल्का भाटखेडी की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को नोटिस जारी किया परन्तु अतिक्रमी उपस्थित नहीं

अति० कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज०)

एक माह की अवधि में पुनः निर्णय पारित करे। साथ ही पटवारी हल्का से यह स्पष्टीकरण भी लिया जावे कि तहसील के निर्णय दिनांक 13.11.2019 में केशर के निस्तारण का कोई उल्लेख नही है तो किस आधार पर केशर की निलामी कर कीमत आंकी गई है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

10 निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़